

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 13.11.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-36 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01.थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राशि पुत्र चुन्नी लाल नि० गनेशपुर ग्रण्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-353/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मुकेश सोनकर पुत्र रूसे नि० इन्दरापरा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-342/20, 02. बनारसी पुत्र मोहन लाल नि० इन्दरापरा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-343/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मन्ना निषाद पुत्र स्व० रमई निषाद नि० बेगमगंज गडईया तारापुर थाना कैण्ट अयोध्या जनपद अयोध्या के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-467/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुनील पुत्र नरेन्द्र कुमार नि० रेवाली थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-465/20, 02. आवेश कुरैशी पुत्र स्व० हलीम कुरैशी नि० मो० नई बाजार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-466/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. गुड़िया देवी पत्नी स्व० जोगिन्दर नि० गोड़ियन पुरवा थाना को० नगर गोण्डा के कब्जे 05 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-872/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस ने लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने करने के आरोपी अभियुक्त मो० आरिफ पुत्र मो० झिनकन नि० रानीजोत मसकनवाँ जनपद गोण्डा को थाना छपिया में पंजीकृत मु०अ०सं०-450/20, धारा 363 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 06.11.2020 को थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना छपिया में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें छपिया पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

मारपीट करने के आरोप में 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना खरगपुर पुलिस ने मारपीट करने के 02 आरोपी अभियुक्तों-01. नकछेद पुत्र बुहान चौहान, 02. मिट्टू चौहान पुत्र अवधेश कुमार बाजपेई निवासीगण भयापुरवा भोला जोत जनपद गोण्डा को थाना खरगपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-247/20, धारा 323. 504.506.427.452 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 13.11.2020 की रात्रि पुरानी रंजिश के चलते वादी विनोद कुमार बाजपेई पुत्र अवधेश कुमार बाजपेई नि० गौनारिया थाना खरगपुर जनपद गोण्डा व उसके परिजनों को गाली-गुप्ता देते हुए मारा-पीटा था तथा घर में घुसकर घर का समान तोड़-फोड़ दिया था। जिसके चलते वादी द्वारा थाना खरगपुर में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें खरगपुर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

चोरी के उपकरण के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 02 अदद नाजायज चाकू बरामद—

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. बब्लू पुत्र अमीर प्रसाद नि० घोसवा खपरी पारा थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. राहुल उर्फ रतनेश त्रिपाठी पुत्र रमेश त्रिपाठी नि० बहिराडीहा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-456/20, धारा 41/411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०-457/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 02 अदद नाजायज चाकू।
02. 02 जोड़ी पायल सफेद धातु।
03. 01 अदद चैन सफेद धातु।
04. 06 भगौना स्टील।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 12/13.11.2020 को उ0नि0 अरुण कुमार राय मय हमराह फोर्स के साथ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्तों को गड़रही रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के उपकरण बरामद किया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त बब्लू व अभियुक्त के पास से 01-01 अदद नाजायज चाकू बरामद हुई। अभियुक्तों को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 अरुण कुमार राय।
02. हेड का0 राजमन यादव।
03. का0 रामप्रकाश सिंह।
04. का0 अंकित शर्मा।